

प्रेषक,

सेवा मे.

राज मुकूल,
विशेष निदेशक, माठ शिक्षा।

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेटर,
नई दिल्ली-110092

विषय :

D.A.V. Public School, Saitha (Jadupur) Bhabua को अनापत्ति प्रमाण—पत्र
के संबंध में।

पटना, दिनांक 2013

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्नानुसार कहना है कि D.A.V. Public School, Saitha (Jadupur) Bhabua को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के शापथ पत्र के राथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सकाम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई:-

1. यह विद्यालय में मुण्डेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्याप्र दिया गया है तथा शापथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य नियंत्रित सोसाइटी/समूह द्वे विद्यालय के ग्राउंड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 02 एकड़ भूमि 40 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय में उपस्थान पुस्तक लय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के हांग जिया गया है। विद्यालय में 13 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नापदण्डों के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्को, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वारान दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वारान को अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से साहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 04.04.2006 में उल्लेखित शर्तें त्वीकार हैं।

१५१८३५१८१
Chairman
D.A.V. School
Saitha, Jaddupur, Kaimur

P.T.O
Principal
D.A.V. SCHOOL
SAITHA, JADDUPUR, KAIMUR, BIHAR

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में कुल कागदता का 25 प्रतिशत नि:शुल्क नामांकन पढ़ोस में निवारा करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे दृगूशन शुल्क अधारा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग शालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।
 - (ii) विद्यालय में नर्सरी/केठी अधारा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साधारणता/बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
 - (iii) नर्सरी/केठी अधारा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।
 - (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ती गई आवेदन शुल्क की राशि का ८० प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।
३. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा राशि अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ जरूरी नामांकन से दावा किया गया है, फिर भी रु० ८० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच ऊर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।
४. राशि ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि रांबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। रकूल को यह शर्त सर्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्प्रेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
५. अभागीय ।।क्रांक-46,।।देनाक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरक दण्ड नहीं दिया जाना राज्यीय आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।
६. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निश्चिप्त हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।
- उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक विभागीय समिति द्वारा लिये गये निष्ठा-नुसार D.A.V. Public School, Saitha (Jadupur) Bhabua को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

विश्वासनाम

₹०/-

(राशि मुकुल)

विशेष निदेशक, मा० (रुपा)

जापानीक.

पटना, दिनांक 2013

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, भगुआ वा० सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

₹०/-

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

जापानीक. - 699

पटना, दिनांक ११/०६/२०१३

प्रतिलिपि : प्राधारी, D.A.V. Public School, Saitha (Jadupur) Bhabua को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

20.6.13

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

८८

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

शुद्धि पत्र

संख्या-10/न 4-97/2013

विभागीय आदेश ज्ञापाक-699 दिनांक-

20.06.2013 के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में विद्यालय का नाम "D.A.V. Public School, Saitha (Jadupur) Bhabua" के स्थान पर "D.A.V School, Saitha (Jadupur) Bhabua" को इस शर्त के साथ पढ़ा जाय कि पूर्व के विद्यालय से संबंधित लेनदारी/देनदारी इस विद्यालय को वहन करना होगा। इस हद तक उक्त आदेश को संशोधित समझा जाय।

* शेष काडिका यथादत रहेगी।

₹0/-

(दशरथ पासवान)

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

ज्ञापाक 10/न 4-97/2013

पटना, दिनांक 2013

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली-110092 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

₹0/-

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

ज्ञापाक 10/न 4-97/2013

पटना, दिनांक 2013

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, भगुआ (कैमुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

₹0/-

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

ज्ञापाक 10/न 4-97/2013-1124

पटना, दिनांक 9/1/2013

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, D.A.V School, Saitha (Jadupur) Bhabua को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

मुख्यमंत्री

Chairman
D.A.V. School
Saitha,Jadupur,Kaimur

Page 21

Principal
D.A.V. SCHOOL
SAITHA,JADUPUR,KAIMUR,BIHAR